बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 18.10.2015

1. आज दिनांक 18.10.2015 को भारत निर्वाचन आयोग का पटना में आगमन हुआ है। आयोग द्वारा अनुग्रह नारायण समाजिक अध्ययन संस्थान, पटना में राजनैतिक दलों के साथ बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक के पश्चात आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, प्रधान सचिव, गृह विभाग, राज्य स्तरीय नोडल पुलिस पदाधिकारी, IG C.R.P.F. के साथ सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बैठक का कार्यक्रम है। तत्पश्चात निर्वाचन व्यय संबंधी बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ पुलिस, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग तथा आयकर विभाग के नोडल पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।

   कल दिनांक 19.10.2015 को निर्वाचन की तैयारी के बिन्दु पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुजफ्फरपुर में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के चतुर्थ एवं पंचम चरण के जिलों की समीक्षा की जायेगी जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी, संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक उपस्थित रहेंगे।

2. **भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न त्योहारों के अवसर पर किये जाने वाले कार्यक्रम के संबंध में निदेश निर्गत किया गया है। इसके अनुसार नवरात्रि कार्यक्रमों का उपयोग किसी भी रूप में राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा तथा इसका उल्लंघन करने वाले आयोजकों के विरूद्ध प्रासंगिक नियमों/प्रावधानों तथा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी। आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी राजनैतिक प्रचार हेतु आयोजित जुलूस या जन सभा के लिए लाउडस्पीकर की अनुमति माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए ही दिया जायेगा।**

3. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरूद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज तक कुल 5,48,293 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया।

Flying Squad, Static Surveillance Team एवं अन्य के द्वारा अब तक कुल 17.55 करोड़ रूपये जब्त किया गया है। जब्त राशि में से आयकर विभाग द्वारा अब तक कुल 1.34 करोड़ रूपये को अंतिम रूप से जब्त किया जा चुका है जबकि 11.62 करोड़ रूपये जिला स्तर पर गठित समिति के स्तर से विमुक्त किया गया है।

गोपालगंज जिला में ₹3,07,200/-, सिवान जिला में ₹1,30,970/- एवं वैशाली जिला में ₹51,000/- जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

4. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा अभी तक कुल निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	957
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	166
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	248
Violation of Loudspeaker Act	44
Illegal Meeting/Speech etc.	62
Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution	18
Others	262

5. Law & Order के तहत अभी तक कुल निम्नलिखित मामले सामने आए :-

No. of Arms/Weapons seized	939
No. of Explosives seized	995
No. of cartridges seized	3,549
No. of Bombs seized	165
No. of illegal arms manufacturing centres raided and seizures made	35
No. of Licensed Arms deposited	42,259
No. of Licensed Arms Cancelled	9,608
No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	2,15,916
No. of non-bailable warrants executed	69,542
Fine collected in vehicle checking	Rs. 8,32,94,848

6. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई आज की गई :-

No. of prohibition cases registered	35
No. of raids conducted	119
Volume of illicit liquor seized during raids	4,347 litre
No. of persons arrested	66
Amount of fine imposed	Rs. 1,19,000

****